29.2.92

नगर परिषद (सिटी बोर्ड) जौनपुर की बैठक [illegible] 29.2.92 दिन शनिवार अपरान्ह 4.00 बजे श्री सीतारामयादव अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल में हुयी जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे. उनके नाम व कार्यवाही निम्न प्रकार है।

1.	श्री सीताराम यादव	अध्यक्ष.
2.	" मिठाईलाल.	मान्य सदस्य.
3	" राम आधार यादव	" "
4	" मो० मेंहदी हसन	" "
5	" कैलाशनाथ मौर्य	" "
6	" रविन्द्र प्रतापसिंह	" "
7	" बाबूलालगुप्त	" "
8	" नरेन्द्रबहादुर सिंह	" "
9	" शोभनाथ आर्य	" "
10	" नजीर अहमद	" "
11	" राजेन्द्र प्रताप सिंह	" "
12	श्रीमती सुधा श्रीवास्तव	नामित सदस्य
13	डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव	मान्य "
14	श्री गणेशनाथ रावत	" "
15	" दयाशंकर	" "
16	" रमजान खां	" "
17	" मुख्तार अहमद	" "
18	" अनसरजा उर्फ मइय्याजी	" "
19	" वीरेन्द्र प्रताप यादव	" "
20	" लालचन्द्र मौर्य	नगरविधायक "
21	" अमरनाथ	नामित सदस्य
22	" शिवकुमार गुप्ता	मान्य "
23	" हाजी मो० सलीम	" "

29.2.92
(शाह महमूद अहमद)
नगर अभियन्ता एवं
कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी.
सिटी बोर्ड. जौनपुर
29.2.92

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड
जौनपुर
29.2.92

प्रस्ताव	निर्णय:-
1. पिछली बैठक दिनांक 27.11.91 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि।	पिछली बैठक दिनांक 27.11.91 की कार्यवृत्त वास्ते पुष्टि पढ़ी गयी। श्री गणेशनाथ रावत, मान्य सभासद ने कार्यवृत्त पढ़ते समय कहा कि स्ट्रीट लाइट के सम्बन्ध में क्रय हेतु क्या कोई पत्राचार हुआ है? यदि हाँ तो दिखाया जाय, यदि नहीं हुआ है तो क्यों? आगे डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि यह बहुत ही खेद की बात है जिसके लिये मैं सदन में उपस्थित मान्य सभासदों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बार-बार कहने पर भी बैठक नियमित नहीं होती, यह बैठक दो-तीन महीने बाद हो रही है, पुनः चर्चा काल के दौरान सम्बन्धित प्रकरणों पर आश्वासन स्वरूप प्रस्ताव पारित तो हो जाता है परन्तु उसका कार्यान्वयन नहीं होता। नगर विधायक श्री लालचन्द मौर्य के सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए उसी समय आने पर श्री अनसरजा उर्फ भइया जी मान्य सभासद ने श्री मौर्य जी नगर विधायक को उत्तर प्रदेश जनता दल का उपाध्यक्ष

29.2.92

प्रस्ताव :-

निर्णय:-

मनोनीत होने के लिए बधाई दिया, जिसके लिए सदन में प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

सदन में श्री गणेशनारायण द्वारा प्रकाश विभाग में कार्यरत दैनिक मजदूरी के कर्मचारियों के स्थायी पद सृजन के लिए क्या शासन को लिखा गया है, के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये जाने पर परिषद लिपिक ने बताया कि परिषद की बैठक में चर्चा काल में आये हुये प्रकरण पर प्रकाश विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अध्यक्ष महोदय के स्तर पर निर्देश जारी कराया गया है, परन्तु प्रकाश विभाग से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट, पद की आवश्यकता पद्यार्जीता आदि को लिखते हुए नहीं प्राप्त है, जिसके लिए प्रकाश विभाग के सम्बन्धित कर्मचारी सदन में बुलाये गये और कार्यवाही के सम्बन्ध में सोच रहे, तब श्री अनसरजा माननीय सभासद ने कहा कि प्रश्न इस बात का नहीं है कि पत्राचार पदसृजन हेतु किया गया है या नहीं, बात

प्रस्ताव

निर्णय

खेद इस बात का है कि इस उपेक्षापूर्ण रवैये से सभासद का सम्मान नहीं होता। वस्तुतः चर्चाकाल के प्रकरण के कार्यान्वयन हेतु सभासद बात उठाये, अर्पित नहीं, सभासद की बातों को महत्वपूर्ण समझते हुये, उनके द्वारा सदन में पूछे जाने के पूर्व ही सम्बन्धित विभाग द्वारा अनुपालन आख्या दे दिया जाना चाहिये, कार्य के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया लम्बे समय से चली आ रही है, जिसके लिये मुझे अपने आपको ग्लानि हो रही है, इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं सभासदों की उपेक्षा करता हूँ। मान्य सभासद ने कहा कि जिस भी लिपिक की गल्ती है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये, ऐसी गल्तियों को आप अध्यक्ष महोदय अपने ऊपर ले लेते हैं, मुझे आप पर कोई दोषारोपण नहीं करना है।

श्री रमजान खां, सभासद ने कहा कि अध्यक्ष जी

प्रस्ताव | निर्णय :-

29.2.92

आप हम सभासदों को सम्मान करते हैं लेकिन जनता हमलोगों को सम्मान नहीं करती क्योंकि उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता।

परिषद की कार्यवाही सदन में श्री महेशनारायण द्वारा प्रस्तुत करते समय श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने पूछा कि इस बोर्ड की कार्यवाही को श्री महेशनारायण क्यों पढ़ते हैं इसके लिये जो नियुक्त और सक्षम हैं, उसी से पढ़ाया जाय, इस पर कार्यालय अधीक्षक सदन में बुलाये गये और कार्यालय अधीक्षक श्री गजराजसहाय ने सदन में हाथजोड़कर कहे कि मेरी तबियत तीन दिन से खराब चल रही है, मैं कार्यवाही नहीं पढ़ पाऊँगा, इसवास्ते मैं क्षमा चाहता हूँ। मान्य सभासद ने कहा कि तबियत खराब है तो इन्हें मेडिकल आफिसर के पास जाँच हेतु भेज दिया जाय और यदि इनकी तबियत ठीक न होना प्रमाणित हो जाय तो बैठक

प्रस्ताव

निर्णय.

स्थगित कर दी जाय और बाद में इनकी तबियत ठीक हो जाने पर तब बैठक की जाय। इस पर श्री अनसरजा उर्फ भइया जी मान्य सभासद ने कहा कि यदि कार्यालय अधीक्षक की इस समय तबियत ठीक नहीं है तो इसे सचिव यानी अधिशासी अधिकारी ही पढ़ें। तब अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसमें कठिनाई है, भइया जी कृपया श्री महेशनारायण को ही पढ़ने दें, तब सदन में उपस्थित सभासदों की आम सहमति से श्री महेशनारायण को ही कार्यवाही रजिस्टर में अंकित कार्यवृत्ति प्रपठित करने की अनुमति दी गयी। तब श्री महेशनारायण कार्यालय अधीक्षक ने कार्यवृत्त पढ़ना प्रारम्भ किया।

श्री श्रीमताज आलम, सभासद ने कहा कि सिनेमा वालों पर बकाया शेष रहने की चर्चा पिछली बैठक में आयी थी, इस पर क्या कार्यवाही की गयी, बताया जाय, तब अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री श्रीचन्द्रयादव, रेन्ट रेवेन्यू प्रभारी ने स्पष्ट किया कि सिनेमा-मालिकों को दिनांक 15.2.92 को रिकवरी सर्टिफिकेट भेज दी गयी है और इसके पूर्व भी कई-बार सिनेमा मालिकों को नोटिस भेजी गयी है। भइयाजी

29.2.92

प्रस्ताव

निर्णय:-

मान्य सभासद ने कहा कि दबंग सिनेमा मालिक को नोटिस देकर सिरवा पढ़ी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये. सिनेमा मालिक को ~~नोटिस दे~~ रिवसा बन्द कीजीये. इस पर श्री श्रीवास्तव. राजस्व निरीक्षक ने कहा कि आप सभासद ऐसे ही मेरा मनोबल बढ़ाये रखवें तो अवश्य ही ऐसे सिनेमा मालिकों के विरुद्ध कार्यवाई करूँगा।

श्री अनसरजा उर्फ भइया जी, मान्य सभासद ने कहा कि वधशालय की वसूली कम है, और यह बताया जाय कि प्रति भैंसा कितना वधशुल्क है? इस पर लेखाकार ने बताया कि प्रति भैंसा एक रूपया वधशुल्क है। इस पर भइया जी ने कहा कि नगर में प्रतिदिन कम से कम 40 भैंसे कटते हैं इस पर अधिशासी-अधिकारी ने कहा कि शायद प्रतिदिन 15 भैंसे वध होते हैं, इसका खण्डन करते हुये भइया जी ने कहा कि नगर में गोश्त की दुकानों की संख्या को देखते हुए वध होने वाले भैंसों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। पुनः यह

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव

निर्णय:

वधशुल्क आयभी कम है, इसे बढ़ाया जाय। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसे प्रस्ताव में लाया जाय और इस पर शुल्क दर बढ़ाया जाय। डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव नगर अनुश्रवण मनोनीत समासद ने कहा कि चर्चा इस विषय पर नहीं हो रही है कि वधशुल्क दर बढ़ाया जाय बल्कि जो चोरी हो रही है, उस पर नियंत्रण रखने हेतु सुझाव दिया जा रहा है।

डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव मनोनीत समासद ने कहा कि अपर-जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जो हड़ताल को समाप्त कराने के प्रयास में विगत महीनों में सिटी-बोर्ड कार्यालय में आये थे, ने यह कहा था कि बोर्ड की आय को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही या उस पर विचार नहीं किया जाता और व्यय पर नियंत्रण नहीं रक्खा जाता, और उन्होंने पालिका की आय को बढ़ाने हेतु विभिन्न शुल्कों की दरें में बढ़ोत्तरी करने सम्बन्धी कार्यवाही हेतु निर्देश भी दिया था, इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है बताया जाय। उन्होंने कहा कि हर महीने

29.2.92

प्रस्ताव :-

निर्णय :

हड़ताल हो रही है, इसे हल करने के लिये पहले चोरी रोकी जाय।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह माननीय सभासद ने कहा कि जहाँ तक वित्त का सम्बन्ध है, कर प्रतिष्ठान भी इसी की परिधि में आता है उन्होंने एक सम्मानित व्यक्ति का दृष्टान्त देते हुये सदन में कहा कि कर विभाग में कर जमा करने के बावजूद उनकी पोस्टिंग सम्बन्धित रजिस्टर में न कराये जाने के कारण, गलत बिल नागरिकों को चली जाती है जिसके कारण जनता में बड़ा असन्तोष होता है। उन्होंने बताया कि श्री सन्तोषकुमार श्रीवास्तव, जो प्रतिवर्ष 5500/- पाँच हजार पाँच सौ जमा करते हैं, फिर भी उन पर बकाया कर मद में बिल भेजी जाती है, यह गलत बात है, इस पर अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उसे मुझे दें, मैं उसकी जाँच करवा दूँगा और दोषी कर्मचारी को दंडित करूँगा।

श्री अनसरजा उर्फ मरजानी

प्रस्ताव

निर्णय -

माननीय सभासद ने कहा कि पूर्व की बोर्ड की बैठकों में यह मामला आया था कि हड़ताल समाप्ति के बाद सफाई हो जायेगी, परन्तु आज भी नगर में नियमित और समुचित सफाई नहीं हो रही है जिसके कारण नागरिकों में रोष है, मुझे नगर-पालिका कार्यालय आने पर यह स्थिति देखने को मिलती है कि अधिकांश - अधिकारी अपने कार्य स्थल पर नहीं रहते, और न उनपर किसी का नियंत्रण ही है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सख्ती और नियंत्रण मैं करूँगा। श्री महस्या जी माननीय सभासद ने पुनः कहा कि नेहरू रोजगार योजना में आपने क्या सख्ती या नियंत्रण किया है? अध्यक्ष महोदय ने कहा कि महस्या जी आप लिखित शिकायत करें, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं सख्ती करूँगा।

श्री अनसरजा माननीय सभासद ने कहा कि श्री महेन्द्र प्रतापसिंह, सिंह फोटो स्टेट, प्रधान एण्ड सन्स, हरलालका रोड, श्री अजयकुमार, श्री महावीर प्रसाद चौरेवाले, श्री विन्देश्वरी आयल मिल्स, शाकमंडी वाले ~~श्री~~ को नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण दिया गया है क्या ये लोग वास्तव में गरीब और इसके पात्र हैं? यदि

Scanned with OKEN Scanner

29.2.92

प्रस्ताव	निर्णय
	नहीं तो इन्हे ऋण देने का क्या औचित्य था? अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह प्रकाशा बैंक व उनके फील्ड आफिसर के अधिकार क्षेत्र का है, वही जाँच करके स्वीकृति देते है। इस पर भइय्या जी मान्य सभासद ने कहा यह ऋण उन्ही को मिला है, जो धनी / सक्षम है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह स्वीकृतियां बैंक के स्तर पर हुआ है. डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि जब नगर-पालिका के अधिकारियों द्वारा ऐसे ऐसे व्यक्तियों के लिये संस्तुति की गयी है तभी तो वे फार्म स्वीकृति हेतु गया था, तो आपलोग क्या देख रहे थे, श्री श्री भगवान आर्य मान्य सभासद ने कहा कि पहले यह निर्णय लिया गया था कि 15-15 फार्मों को प्रत्येक वार्ड के मान्य सभासदों की सहमति से भेजा जायेगा लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, जिसे समझा जाता है उन्ही का फार्म भेज दिया जाता है तब श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, सभासद ने कहा कि उनके मुहल्ले का एक गरीब लड़का

प्रस्ताव

निर्णय

है उसे भी मच्छा नहीं मिला, लोगों ने बताया कि उसके ऊपर कुछ बकाया है, लेकिन ज्ञात किया जाए, जो उसे अभी तक नहीं दिया गया।

श्री रमजान खां, मान्य सभासद ने कहा कि जलकल विभाग में जो 2.50 लाख, पाइप लाईन डालने के लिए मिला था, वह धन पालिका कोष में है या नहीं। इस पर अधिशासी अधिकारी महोदय ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से 2.75 लाख प्राप्त हुआ था, उक्त प्राप्त धन से क्रय किये गये सभी जलकल सामग्रियों का मूल्य भुगतान नहीं हो पाया है क्योंकि उक्त धन का कुछ भाग वेतनादि में व्यय हो गया है और हड़ताल की विषम परिस्थितियों में ऐसा करने के लिए विवश होना पड़ा था।

श्री शोभनाथ आर्य मान्य सभासद ने कहा कि क्या बाढ़ अनुदान सम्बन्धी शासनादेश बोर्ड की बैठक में रखवा गया था? क्या इस अनुदान के लिये कोई अलग प्रक्रिया है? इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उक्त बाढ़ अनुदान की जानकारी पालिका के सभी सभासदों ने

प्रस्ताव

निर्णय—

को पूर्व में करा दी गयी थी। पुनः चर्चाकाल के ही दौरान श्री जनमेजय उर्फ महात्माजी ने कहा कि श्री शिवबाबू गुप्ता (रहट्टा पर्मानतपुर) के मकान की ओर जाने वाली सड़क तथा माननीय राज्यमंत्री श्री उमानाथ सिंह जी के मकान की ओर जाने वाली सड़क बनी है, तो क्या इसे बोर्ड की बैठक में रखकर पारित कराया गया था, यदि नहीं तो ऐसा क्यों? श्री कुंवर वीरेन्द्र प्रतापसिंह, एम०एल०सी० जहाँगीराबाद के मकान की ओर जाने वाली सड़क क्यों नहीं बनवायी गयी? श्री रमजान खां, सभासद ने कहा कि जिस मद यानी कार्य हेतु धन आवंटित हो उसी मद में व्यय किया जाना चाहिए। चर्चाकाल के दौरान निर्माण कार्य की पत्रावली सदन में उपस्थित सभासदों द्वारा मांगी गयी, जिस पर श्री बाबूराम यादव, निर्माण लिपिक को बुलवाया गया, जो तत्काल नहीं मिल पाये, जिस पर सदन में इस बात का खेद प्रकट हुआ कि श्री बाबूराम यादव बोर्ड की बैठकों में पहले भी नहीं रहते रहे हैं और आज भी नहीं है, इसलिये उन्हें तुरन्त

29.2.82

प्रस्ताव

निर्णय

बुलवाया जाय, और सचेत किया जाय कि भविष्य में बोर्ड की बैठक में न रहने पर दंडित किये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय सभासद, ने कहा कि प्रत्येक माह में बोर्ड की बैठक आहूत होना चाहिये, परन्तु ऐसा होता नहीं, अधिशासी अधिकारी महोदय ने कहा कि किन्हीं विषम परिस्थितियों में बैठकें निर्धारित अवधियों में आयोजित नहीं की जा सकी हैं, भविष्य में प्रत्येक माह में बैठकें बुलाई जायेगी।

श्री बाबूलाल गुप्त, मान्य सभासद ने कहा कि करविभाग द्वारा मकानों के कर निर्धारण में मनमाना पन किया जा रहा है, एक दृष्टान्त उनकी जानकारी में है कि 72.00 रु० के कर निर्धारण को करविभाग के सम्बन्धित कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा बढ़ाकर 7200/- वार्षिक कर निर्धारण किया गया है, जो उचित नहीं है, तब अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसकी लिखित शिकायत की जाय, ताकि जाँच कराया जा सके माननीय सभासद ने कहा कि हर बात को लिखकर दिया

29.2.92

प्रस्ताव :—

निर्णय :—

जाय, तभी कार्यवाही होगी। उचित नहीं है। मैं सदन में उपस्थित सभासदों के समक्ष दृष्टान्त देते हुए शिकायत कर रहा हूँ, इसे नोट कर लिया जाय तथा जाँच करायी जाय तब अध्यक्ष महोदय द्वारा समुचित जाँच हेतु आश्वासन दिया गया।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मान्य सभासद ने कहा कि प्रमोद जीवन बीमा की किस्त का धन सिंगुरी बेलदार की नियमित जमा न होने के कारण उनके मृतक दावा क्लेम में कठिनाई हो रही है और उनकी आश्रित उनकी पत्नी को देय जीवन बीमा का धन नहीं मिल पा रहा है, इस पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लेखाकार ने बताया कि गत छमाह की जीवन बीमा की किस्त जमा पालिका कोष में धन के अभाव में जमा नहीं हो पाया है, जिसके लिए केवल उसी मृतक की कटौती के धन को घटवाकर जमा करा दिया जायेगा।

अंत में पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

निर्णय-

प्रस्ताव	निर्णय
2. सिटी बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह अक्टूबर 1991 का मासिक आय-व्यय लेखा परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	मासिक आय-व्यय पढ़े जाने पर श्री रामअचल यादव, मान्य सभासद ने कहा कि कर संग्रह एवं चुंगी संग्रह मद में क्रमशः 54,799.30, व 10,038.50 व्यय होना दर्शाया गया है, जो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इतनी धनराशि कहाँ और कैसे व्यय होता है इस पर लेखाकार ने बताया कि उक्त व्यय कर्मचारियों के वेतनादि पर व्यय को प्रदर्शित किया गया है, इस पर श्री श्यामलाल आर्य ने कहा कि यह स्थिति और स्पष्ट रूप में अंकित होना चाहिए ताकि पढ़े जाने पर वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके। इसके पश्चात उन्होंने इन्दिरा मार्केट की दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में प्रश्न किया कि उनका आवंटन हुआ है या नहीं ? यदि आवंटन हुआ है तो उनका किराया तथा आवन्टी द्वारा जमा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्थिति बतायी जाय। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री कामेश्वर सिंह अवर अभियन्ता ने बताया कि 6 माह पूर्व दुकाने बनायी जा चुकी है, जिनमें से कुछ की किस्ते जमा हो चुकी है, कुछ की किस्ते बाकी है,

29.2.92

प्रस्ताव :-

निर्णय :-

पुनः अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री [illegible] राजेन्द्र शर्मा ने सदन को अवगत कराया कि दुकानों का निर्माण होने के बाद ठेकेदार को चाहिये था कि वह उक्त दुकानों में बने ताले को पालिका को हस्तांतरित करता, और नीचे प्रथम तल के दुकानदारों को अपनी तल पर बने दुकानों का तब तक कब्जा नहीं दिया जाता जब तक वह आदेश प्राप्त नहीं करता और आदेश प्राप्ति के पश्चात ही अन्य शर्तों को पूरा करा लेने के पश्चात ही दुकान का कब्जा दिया जाता, ऐसा न होने से कुछ दुकानदारों ने अपनी तल के दुकानों पर कब्जा कर लिया है और निर्धारित प्रीमियम की सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं किये हैं। उक्त प्रीमियम की माँग हेतु उन्हें नोटिस भेजी गयी, जिस पर दुकानदारों द्वारा यह आपत्ति उठाई गयी है कि निर्माण लागत बहुत अधिक है। श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, मान्य सभासद ने कहा कि इसमें ठेकेदार

29.2.82 172

प्रस्ताव

निर्णय:-

की क्या गलती है? जब निर्माण उसी समय मुस्तैदी और सख्ती करता और दुकानों पर कब्जा न देता तो नीचे के दुकानदार ऊपरी तल के दुकानों पर कैसे कब्जा करते? इसकी औपचारिकता पूर्ण कराई जाय।

आगे श्री अनसरजा उर्फ मझला जी, मान्य सभासद ने कहा कि नगर-पालिका कार्यालय के दक्षिणी गेट के सामने दुकानें बनी हैं, लेकिन उसका चोरी से आवंटन कर दिया गया है, इन दुकानों में से प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये में बेचने का दावा मैं करता हूँ। श्री रमजान खां, मान्य सभासद ने कहा कि यदि नगर-पालिका गेट के दक्षिणी ओर स्थित अलमस्तगंज की नवनिर्मित दुकानों का मामला विवादित है तो यह कब तक चलता रहेगा, उसका कोई विकल्प निकाला जाय, और दुकानें जल्द से जल्द आवंटित कर दी जाय ताकि पालिका आय में वृद्धि हो। श्री शोभनाथ आर्य, सभासद ने कहा कि कलेक्टरी कचेहरी के पास चुंगी नाका है, उसे दुकान निर्माण हेतु टेन्डर हुआ था तथा (work order) कार्य

29.2.92

प्रस्ताव

निर्णय:-

कराने का आदेश दिया गया जिस पर कुछ लोगों पर मुकदमा चलाया गया और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी, इस पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री श्री धारयादव राजस्व प्रभारी ने बताया कि चुंगी नाके को श्री कृपाशंकर शुक्ला जो पहले इस पालिका में ओवरसियर थे, ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव से अपने भाई के नाम से ले लिया था जिसे निरस्त कर दिया गया था और मुकदमा विचाराधीन था, जो खारिज हो गया है, इसके पश्चात कोई कार्यवाही नहीं हुयी थी, पुन: इस पालिका के पूर्व अधिशासी अधिकारी श्री रामगणेश त्रिपाठी द्वारा उक्त नाके पर दुकान बनवाने की कार्यवाही की गयी थी, लेकिन उसी दुकान के पीछे के निवासी कोई राय साहब हैं, जो पुन: मुकदमा दायर कर दिए हैं और अनाधिकृत कब्जा किये हैं, जिसे खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है। अन्त में माह अक्टूबर 91 का मासिक आय-व्यय विवरण अनुमोदित किया गया।

29.2.92

प्रस्ताव	निर्णय
3. सिटी बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह नवम्बर 91 का मासिक आय-व्यय लेखा पत्रादि परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	पढ़ा गया। स्वीकार।
4. सिटी बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह दिसम्बर 91 का मासिक आय व्यय लेखा-पत्रादि परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	पढ़ा गया। स्वीकार।
5. सिटी बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह जनवरी 1992 का मासिक आय-व्यय लेखा-पत्रादि परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	पढ़ा गया, स्वीकार।
6- सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, लखनऊ आदेश सं० यू०ओ०-245/9-1-91 दिनांक 6-12-91 जिसके अन्तर्गत दैनिक वेतन वर्क चार्ज श्रमिकों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है, परिषद अवलोकनार्थ व आदेशार्थ।	शासनादेश परिषद लिपिक द्वारा पढ़कर सदन में सुनाया गया, और शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किए जाने पर सहमति पायी गयी।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ के अर्धशासकीय पत्र संख्या 8-7465/[illegible] दिनांक 5.10.91, जिसके अन्तर्गत .	पढ़ा गया।

29.2.92

प्रस्ताव	निर्णय :-
दिनांक 11.10-89 तक 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण करने से सम्बन्धित सूचना माँगी गयी है जिसके अनुपालन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सूचना शासन को भेज दी गयी है, परिषद अभिज्ञानार्थ।	
8. शासनादेश नगर विकास अनुभाग-1 संख्या 4947/नौ-1-91 दिनांक 28.11.91 व पत्र संख्या 132/9-1-91 दिनांक 30-12-91, जिसके अन्तर्गत दिनांक 10-10-89 के पश्चात किसी भी प्रकार की भर्ती दैनिक मजदूरी पर न की जाय, परिषद विचारार्थ।	आवश्यक सेवाओं एवं विषम परिस्थितियों को छोड़कर शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाय।
चर्चाकाल :-	श्री अनसरजमा, उर्फ महाभाजी माननीय सभासद ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के रोड गैंग बेलदार के सम्बन्ध में बताया जाय क्या वे कनफर्म (स्थायी) माने जायेंगे, उनकी सेवाओं का क्या होगा? इस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि ये बेलदार [illegible] के पूर्व से कार्यरत

प्रस्ताव

निर्णय

है और 1972 में बोर्ड की बैठक में इनको सेवाओं को रेगुलर करने हेतु रखवा गया था . ये लोग नियमित कर्मचारियों की भाँति वेतन तथा मँहगाई भत्ता पाते हैं । शासन से इस प्रकार का आदेश प्राप्त हुआ था कि जो जो कर्मचारी 11-10-81 को दैनिक वेतन पर थे तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य किया हो, उन्हें नियमित किये जाने की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो गयी है, सदन में इस आशय का प्रश्न उठाया गया कि क्या बेलदार व मेट , निर्माण विभाग , उस नियमित कर्मचारी की श्रेणी में ~~नहीं~~ नहीं आयेंगे , चूँकि ये 1972 से ही कार्यरत हैं इसलिये इन्हें भी नियमित किये जाने हेतु पत्र शासन को भेजा जाय ।

मान्य सभासद श्री अग्रवाल ने कहा कि 20 बेलदार तथा 2 मेट कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य करते हैं . उनकी लिस्ट दी जाय ताकि वे भी जाँच कर सकें ।

आगे श्री श्री मनोज आर्य मान्य सभासद ने कहा कि जितने भी कर्मचारी दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं , उन्हें नियमित करने हेतु शासन को लिखा जाय

प्रस्ताव	निर्णय
	जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सहमति दी गयी। श्री मनराजा, मान्य सभासद ने कहा कि जो भी दैनिक मजदूरी पर कर्मचारी कार्यरत थे, उनको स्थायी साइकिल/वाहन स्थायी के मान्य सभासदों को दी जाय. उन्होंने यह भी कहा कि शासनादेश के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को दैनिक वेतन पर न रखा जाय।
9. पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य हेतु 11-10-89 के पूर्व से कार्यरत 34 स्वच्छकार जिसमें से 8 स्वच्छकार का कार्यकाल 3 वर्ष पूर्ण हो चुका है और शेष 26 स्वच्छकार का कार्यकाल 11-10-89 को 3 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, को 25/- दैनिक मजदूरी पर 1.12.91 से आगे की अवधि तक बढ़ाये जाने पर विचार।	दिनांक 1.12.91 से 29.2.92 तक के लिए स्वीकार।
10- पालिका जलकल विभाग के नलकूपों के संचालन हेतु स्वीकृत दैनिक मजदूरी 30/- पर 33 पम्प अटेन्डेन्ट [illegible] जिनके	दिनांक 1.12.91 से 29.2.92 तक के लिए स्वीकार।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव | निर्णय:

है 20 पम्प अटेन्डेन्ट की सेवायें 11-10-89 को 3 वर्ष एवं प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन रही है, शेष 13 पम्प अटेन्डेन्ट की सेवायें उक्त तिथि 11-10-89 को 3 वर्ष नही हुयी है, परन्तु वे 11-10-89 के पूर्व से कार्यरत है, की सेवायें 1.12.91 से आगे की अवधियें के लिये बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में परिषद विचारार्थ।

11. पालिका जलकल विभाग में पम्प लाइनों के रख रखाव हेतु 25/- दैनिक मजदूरी पर रखे गये 11 बेलदार जिसमें से 5 बेलदार की सेवायें 11-10-89 को 3 वर्ष पूर्ण हो चुकी है एवं 6 बेलदार में से 5 बेलदार की भर्ती दैनिक मजदूरी पर 11-10-89 के पूर्व हुयी है, परन्तु उनकी सेवायें 3 वर्ष की नही हुयी है एवं एक बेलदार जो, पूर्व में कार्यरत बेलदारों में से किसी एक के नियमित वेतन पर नियुक्ति हो जाने पर, 11-10-89 के पश्चात रखा गया है, की सेवायें 1.12.91 से आगे की अवधियें को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में परिषद के विचारार्थ।

दिनांक 1.12.91 से 29-2-92 तक के लिये स्वीकार।

29.2.92

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
12. पालिका प्रकाश विभाग में नगर क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था को ठीक रखने हेतु कार्यरत दैनिक मजदूरी ~~[illegible]~~ रु 30/- पर एक मिस्त्री जो 11-10-89 के पूर्व से कार्यरत है, की सेवायें 1.12.91 से आगे बढ़ाये जाने पर विचार।	दिनांक 1.12.91 से 29.2.92 तक के लिए स्वीकार।
13. पालिका प्रकाश विभाग में नगर क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को ठीक रखने हेतु कार्यरत 2 मिस्त्री जो 11-10-89 के बाद से कार्यरत हैं, की सेवायें 1.12.91 से आगे की अवधियों के लिये शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में बढ़ाया जाय या नहीं, परिषद विचारार्थ।	यह आवश्यक सेवा है, इसलिए आवश्यक सेवा को ध्यान में रखते हुए जनहित में दिनांक 1.12.91 से 29.2.92 तक के लिए स्वीकार।
14. पत्रादि बावत नगर की विभिन्न सड़कों की तहबाजारी वसूल करने हेतु 11-10-89 के पूर्व से कार्यरत 4 तहबाजारी मोहर्रिर को दैनिक मजदूरी 30/- पर रखने की स्वीकृति 1.12.91 से आगे बढ़ाये जाने हेतु परिषद विचारार्थ।	दिनांक 1.12.91 से 29.2.92 तक के लिये स्वीकार।
15. पत्रादि बावत निर्माण विभाग: आई० डी० एस० एम० टी०, नेहरू रोजगार योजना, झुग्गी झोपड़ी	कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये विषम परिस्थितियों में 20.12.[illegible]

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
औते लघु उद्योग नवीन - योजनाओं के पत्रावली सम्बन्धी टंकण कार्य की अधिकता एवं एक टाइपिस्ट जिन्हें एडा सेल सम्बन्धी कार्य से सम्बद्ध कर दिया गया है, जिसके कारण टंकण कार्य प्रभावित हो रहा है, कार्यालय के टंकण कार्य को समय पूरा करने हेतु एक अतिरिक्त टाइपिस्ट 30/- दैनिक मजदूरी पर जो 20-8-91 से कार्यरत हैं, जिसकी स्वीकृति बोर्ड द्वारा 19-12-91 तक के लिये स्वीकार की गयी है, जो शासनादेश दिनांक 6-12-91 के पूर्व से कार्यरत हैं परन्तु 11-10-91 के पश्चात रखे गये हैं, की सेवाओं को 20-12-91 से आगे की अवधियों तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में परिषद विचारार्थ।	29.2.92 तक के लिए स्वीकार।
16. वित्त वेतन आयोग अनुभाग-1 शासनादेश सं० वे०आ०-1-2535/10-40(एम)/88 दिनांक 2.12.91 द्वारा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में पहली जुलाई 1991 से 9% की बढ़ोत्तरी सम्बन्धित शासनादेश परिषद अवलोकनार्थ हेतु।	पढ़ा गया, स्वीकार।

29.2.92

	प्रस्ताव —	निर्णय :—
17.	पालिका जलकल समिति की बैठक दिनांक 4.12.91 के प्रस्ताव सं० 3 के अन्तर्गत पारित सुझाव कि अनुपयोगी बोर्ड के मीटरों को रिप्लेस करने के लिये, पालिका की वित्तीय स्थिति ठीक न होने की दशा में उपभोक्ताओं से उनके स्थान पर नया मीटर लगवाने सम्बन्धी आख्या परिषद विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु।	स्वीकार। जलकल अभियन्ता अग्रेत्तर कार्यवाही करें।
18	पालिका अध्यक्ष का प्रस्ताव कि यू०पी० म्यु० ऐक्ट 1916 की धारा 104 (i) (बी) के साथ पठित पालिका रेगुलेशन सं०-21 में घोषित प्राविधानानुसार वर्ष 1991 के लिये गठित पालिका की 8 समितियों का कार्यकाल 31.12.91 को समाप्त हो चुका है, इस समिति के सदस्यों का वर्ष 1992 के लिये निर्वाचन हेतु नामांकन की तिथि, नाम-वापसी की तिथि एवं यदि आवश्यक हुआ तो मतदान की तिथि निश्चित करने के लिये परिषद विचारार्थ एवं आदेशार्थ।	सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, ① कमेटियों के नामांकन हेतु 12.3.92 की तिथि ② नाम वापसी हेतु 13.3.92 की तिथि तथा यदि आवश्यक हुआ तो चुनाव की तिथि 16-3-92 निश्चित की गयी। अध्यक्ष तदनुसार कार्यवाही करायें।

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
19. प्रस्ताव श्री अनवरजा, माननीय सभासद, जिसका समर्थन श्री स्वार्थीलाल, माननीय सभासद ने किया। बाबत ढोलगारटोला, बड़ुआघाट में रिजर्वायरों, विगत 15 वर्षों से व्याप्त भीषण पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुये तुरन्त राहत योजना के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ढोलगारटोला स्थित नगरपालिका स्कूल के पीछे खाली पड़ी निजी भूमि पर एक नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में विचार।	स्वीकार। जलकल अभियन्ता कार्यवाही करें।
20. प्रस्ताव श्री रमजान खाँ, माननीय सभासद, सिटी-बोर्ड जौनपुर बाबत शासनादेश के अनुसार कोई भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सिटी-बोर्ड में न रखा जाय, एवं दाखिल खारिज की अबतक कितनी पत्रावली किस किस निरीक्षक/कर्मचारी के पास लम्बित है उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी यथा-स्थिति बोर्ड के बैठक के समय सदन पटल पर रखा जाय, सम्बन्धित का निरीक्षक/कर्मचारी भी उस समय उपस्थित रहें। परिषद -	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के सम्बन्ध में ऊपर के प्रस्तावों में निर्णय लिया जा चुका है दाखिल खारिज पत्रावलियों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण कर अधीक्षक उपलब्ध करायें।

29.2.92.

प्रस्ताव :-	निर्णय :
विचारार्थ एवं वर्तमान एसेसमेंट रजिस्टर श्री सिराजुद्दीन अहमद, प्रथम श्रेणी लिपिक के माध्यम से बोर्ड में प्रस्तुत कराया जाय।	
21 अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से -	कुछ नहीं।

सिटी - बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 29.2.92 के लिये पूरक कार्य सामग्री

1. प्रस्ताव श्री सुनील श्रीवास्तव, सभासद - सिटी बोर्ड जौनपुर, जिसका समर्थन श्री गणेशनाथ रावत व श्री मुख्तार अहमद, सभासद ने किया है "आम-जनता को जल संयोजन के लिये आवश्यक आज्ञा एवं धन जमा करने हेतु इस बात के लिये कठिनाई होती है कि आधा कार्य जलकल एवं आधा कार्य का निर्माण से होता है इसलिये कार्य में सुविधा प्रदान करने हेतु उनके प्रस्तावानुसार जल संयोजन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही जलकल विभाग से की जाय, जिस पर जलकल अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक 27.2.92 के अनुसार	स्वीकार। कर-अधीक्षक, सम्बन्धित अभिलेख तथा कर्मचारियों को जलकल अभियन्ता के संरक्षण में कार्य करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। जलकल अभियन्ता जल संयोजन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करायें।

प्रस्ताव -	निर्णय -
जल संयोजन कराधान पंजिकायें जो कर निर्धारण में संधारित की जाती है, को तथा कर विभाग में कार्यरत 4 जलमूल्य लिपिकों तथा तत्सम्बन्धी माँग समाहरकर्ताओं को जलकल विभाग में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव परिषद विचारार्थ	पढ़ा गया।
2. नगर विकास अनुभाग-1, शासनादेश संख्या 1076/9-1-92-95 सा/91 दिनांक 3.2.92, जिसके अन्तर्गत स्थानीय निकाय, सिटी-बोर्ड जौनपुर में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों जिनकी सेवायें 11-10-89 को लगातार कार्य करते हुए 3 वर्ष और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य करने की शर्त पूरी कर लिये हैं, के अनुसार 33 दैनिक वेतन कर्मचारी जिनमें से 25 जलकल विभाग तथा 8 स्वास्थ्य विभाग के हैं, के विनियमितीकरण सम्बन्धी आदेश परिषद सूचनार्थ।	शासनादेश का अनुपालन किया जाय।
3. पत्रादि बावत शासन द्वारा नगर में भंगी मुक्ति योजना के अन्तर्गत सिर पर मैला ढोने या ढोवाने सम्बन्धी प्रथा को समाप्त करने सम्बन्धी उपविधि	स्वीकार। नगर अभियन्ता अग्रेतर कार्यवाही करें।

29-2-92

प्रस्ताव :	निर्णय
को लागू करने के उद्देश्य से शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना को नागरिकों के मध्य प्रसार एवं उस पर निर्धारित अवधि एक माह के अन्दर आपत्ति प्राप्त करने हेतु समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करने विषयक प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	

(हस्ताक्षर) 29/2/92
(शाह महमूद अहमद)
नगर अभियन्ता व
कार्यवाहक अधिशासी-अधिकारी,
सिटी-बोर्ड जौनपुर
29.2.92

(हस्ताक्षर) सीताराम यादव
(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
29-2-92

Scanned with OKEN Scanner